

281

**OFFICE COMMISSIONER OF INDUSTRIES  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
UDYOG SADAN, 419, FIE, PATPARGANJ INDUSTRIAL AREA: DELHI**

No.F.CI/DCI/SU/2016/4982

dated: **28<sup>th</sup> March, 2016**

12-5-2016

To

The Commissioner  
Labour Department,  
Govt. of NCT of Delhi,  
5 Sham Nath Marg,  
Delhi-110054

*Handwritten notes:*  
SO (L&P) By Secy  
17/5/16 19/5/16 JS(DK)  
@ 17/5 US(SUT) DS(DK)  
17/5  
Sh. SUT ay

Sir,

1. As you are aware that Government of India, Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), has notified the definition of Start up vide Gazette Notification dated 17<sup>th</sup> February, 2016 (**copy enclosed**) which inter alia states that entity shall be considered as a 'start up':\_

- a. *Up to five years from the date of its incorporation/registration.*
- b. *If its turnover for any of the financial years has not exceeded Rupees 25 crore and,*
- c. *It is working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property;*

*Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a 'start up';*

*Provided further that in order to obtain tax benefits a start-up so identified under the above definition shall be required to obtain a certificate of an eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification consisting of:...."*

Office of the Secretary (DK)  
FTS No. 259569  
Date: 16/5/16

Office of the Secretary (DK)  
D/FTS No. 259569  
Date: 17-05-16



RS-25/950

2016

2. Further, Industries department is in receipt of a D.O. letter No. Z-13025/39/2015-LR Cell dated 12<sup>th</sup> January, 2016 received from Sh. Shankar Aggarwal, Secretary to Govt. of India, Ministry of Labour & Employment (**Copy enclosed**) addressed to chief secretary (Delhi) which inter alia states that promoting the Start Up as defined above, would need special handholding and nurturing. As such Start Up may be allowed to self certify compliance with the Labour Laws to be covered under this are:

- i. The Industrial Disputes Act, 1947
- ii. The Trade Unions Act 1926
- iii. The Building and Other Constructions Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
- iv. The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
- v. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
- vi. The Payment of Gratuity Act, 1972.
- vii. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.
- viii. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
- ix. The Employees' State Insurance Act, 1948.

3. In view of the above, States/UTs are advised vide aforesaid DO to comply with the following directions (s):

i. For the first year of setting up of the Start-ups such establishments may not be inspected under any of the 4 Labour Laws mentioned above (viz. BoCW Act, ISMW Act, Payment of Gratuity Act and Contract labour Act). These start-ups may be asked to submit an online self-declaration instead.


ii. Start-ups may be allowed to submit self-certified returns(as is being done under Shram Suidha Portal under these Acts for the Central sphere) under aforesaid Acts from the second year onwards, up to three year form the setting up of the unit, such Start-Ups may be taken up for inspection only when very credible and verifiable complaint of violation is filed in writing and the approval has been obtained from at least one level senior to the inspecting officer.



283

3. It is, therefore, requested that in compliance of the above directions to regulate the inspections in the Start Ups, wherever applicable, Shram Suvidha Portal of Government of India may be used online for self certification.

**Encl: As above.**



**(ARUN MISHRA)**

**Spl. Commissioner of Industries**

**Ph: 23736927**

**comind@nic.in**

**Copy forwarded for information to:-**

✓ PS to Secretary,  
Ministry of Labour & Employment,  
Shram Shakti Bhawan,  
New Delhi- 110001.



284  
61C



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2016/माघ 29, 1937

No. 113]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2016/MAGHA 29, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सं.का.नि. 180(अ).—भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की घोषणा की गई है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए कई कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। पहचान किए गए उद्यमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किसी संस्था को निम्नानुसार 'स्टार्टअप' माना जाएगा-

क) उसके निगमनीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष तक,

ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्मओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

ग) यह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा है;

पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा;

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार पहचान किए गए किसी 'स्टार्टअप' को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,

ख) विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, और

ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि।



285

5/c

स्पष्टीकरण:

1. कोई संस्थान अपने भिगामीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर 'स्टार्टअप' के रूप में नहीं माना जाएगा।
2. संस्थान का अर्थ है - कोई निजी क्षेत्र लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत)।
3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।
4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:

क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हों।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा:-

क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

ख) एकसमान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों।

5. 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता संबंधी प्रक्रिया, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के मोबाइल एप/पोर्टल के माध्यम से होगी। स्टार्टअप की निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक के साथ साधारण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा:

(क) भारत में किसी छात्रकोतर महाविद्यालय में स्थापित किसी इन्क्यूबेटर से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुशंसा (व्यवसाय की अभिनव प्रकृति के संबंध में); या

(ख) किसी इन्क्यूबेटर का समर्थन पत्र जिसका निधियन (परियोजना के सन्दर्भ में), अभिनवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी निर्दिष्ट योजना के भाग के रूप में भारत सरकार या कोई राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो; या

(ग) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी इन्क्यूबेटर से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुशंसा (व्यवसाय की अभिनव प्रकृति के संबंध में); या

(घ) किसी इन्क्यूबेशन फंड/एंजल फंड/निजी इक्विटी फंड/त्वरित/एंजल नेटवर्क जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत हो, के द्वारा इक्विटी में 20 प्रतिशत या इससे अधिक के निधियन का पत्र जो व्यवसाय के अभिनव स्वरूप को स्वीकारता हो। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ऐसे कारणों के लिए गकारात्मक सूची में ऐसे किसी भी फंड को शामिल कर सकता है जो वह उचित समझे; या

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का अभिनवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी निर्दिष्ट योजना के भाग के रूप में निधियन पत्र; या

(च) व्यवसाय के स्वरूप को संवर्धित करने वाले क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पत्रिका में दर्ज किया गया और प्रकाशित किया गया पेटेंट।



286

4/c

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ऐसे मोबाइल एप/पोर्टल के शुरू होने तक स्टार्टअप को मान्यता देने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। एक बार संबद्ध दस्तावेज के साथ ऐसा आवेदन अपलोड हो जाने पर स्टार्टअप को वास्तविक समय मान्यता नम्बर जारी किया जाएगा। यदि बाद में सत्यापन के समय यह पाया जाता है कि यह मान्यता, दस्तावेज के बिना अपलोड किए या अन्य दस्तावेज अपलोड होने या जाली दस्तावेज होने के कारण प्राप्त हुई है, तो संबंधित प्रार्थी दण्ड का भागी होगा जो स्टार्टअप की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत होगा, लेकिन यह 25,000 रुपए से कम नहीं होगा।

यह अधिसूचना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 5(91)/2015-वीई. I]

रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17<sup>th</sup> February, 2016

**G.S.R. 180(E).**—The Government of India has announced 'Startup India' initiative for creating a conducive environment for startups in India. The various Ministries of the Government of India have initiated a number of activities for the purpose. To bring uniformity in the identified enterprises, an entity shall be considered as a 'startup'—

- a) Up to five years from the date of its incorporation/registration,
- b) If its turnover for any of the financial years has not exceeded Rupees 25 crore, and
- c) It is working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property;

Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a 'startup';

Provided further that in order to obtain tax benefits a startup so identified under the above definition shall be required to obtain a certificate of an eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification consisting of:

- a) Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion,
- b) Representative of Department of Science and Technology, and
- c) Representative of Department of Biotechnology.

**Explanation:**

1. An entity shall cease to be a startup on completion of five years from the date of its incorporation/registration or if its turnover for any previous year exceeds Rupees 25 crore.
2. Entity means a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013), or a registered partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2002).
3. Turnover is as defined under the Companies Act, 2013.
4. An entity is considered to be working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property if it aims to develop and commercialize:
  - a. A new product or service or process, or
  - b. A significantly improved existing product or service or process, that will create or add value for customers or workflow.